न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
उपस्थित–सुशील कुमार शशि (एच0जे0एस0)
जमानत प्रार्थनापत्र सं0:–654/2026
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010046412026

आदर्श सरोज उर्फ नान्हक पुत्र संचम
सा0मौ0–असवारा, थाना गौराबादशाहपुर, जिला जौपनुर।

.... आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–159/2026
धारा–87, 137(2) बी0एन0एस0।
थाना–गौराबादशाहपुर, जिला जौनपुर।

16.06.2026

आवेदक/अभियुक्त आदर्श सरोज उर्फ नान्हक द्वारा मु0अ0सं0–159/2026 धारा–87, 137(2) बी0एन0एस0, थाना–गौराबादशाहपुर, जिला–जौनपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 26.05.2026 को वादी मुकदमा तुलसी की पोती रिया यादव उम्र 15 वर्ष कहीं चली गयी। खोजने पर उसका कहीं पता नहीं चला। हर जगह खोजकर रिश्तेदारी पता करने के बाद उसके न मिलने पर थाना पर गुमशुदगी की तहरीर दे रहा हूं। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को गलत एवं फर्जी ढंग से मुल्जिम बनाया गया है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। पीड़िता आवेदक से प्रेम करती ळै, वह पीड़िता को बहला, फुसलाकर भगाया नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आवेदक ने पीड़िता के साथ कोई लैंगिक अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 31.05.2026 से जेल कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त पर वादी मुकदमा की पीती को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है, जिसकी पुष्टि वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में की गयी है। पीड़िता के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। पीड़िता के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में स्वयं अपनी मर्जी से घर से आदर्श के साथ मुम्बई जाने का कथन किया गया है तथा पीड़िता के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में यह भी कथन किया कि मैं अपनी मर्जी से घर से गयी थी। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुयी। मुझे आदर्श के साथ रहना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पीड़िता के द्वारा बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में स्वयं अपनी मर्जी से घर से जाने का कथन स्वीकार किया है तथा पीड़िता ने अभियुक्त के विरूद्ध कोई गम्भीर आरोप बहला फुसलकार ले जाने अथवा कोई गलत काम करने का नहीं लगाया है। थाने की प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्त के विरूद्ध इस मुकदमे के अलावा अन्य कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा

Digitally signed by SUSHIL KUMAR SHASHI
Date: 2026.06.16 16:25:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चुका है। अब किसी साक्ष्य का संकलन होना शेष नहीं है। अभियुक्त दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में गुणदोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त आदर्श सरोज उर्फ नान्हक द्वारा मु0अ0सं0–159/2026 धारा–87, 137(2) बी0एन0एस0, थाना–गौराबादशाहपुर, जिला–जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं उसके द्वारा मु0–50,000/–रूपये का स्व बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो विश्वसनीय जमानतें सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

दिनांक 16.06.2026
लोकेश कुमार/–

(सुशील कुमार शशि)
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2001
सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।